प्रेस नोट थाना राजघाट जनपद गोरखपुर दिनांक 25.05.2025

दुकान के कर्मचारी द्वारा गबन करने के आरोप में 01 नफर वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 19.30 ग्राम पीली धातु बरामद

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी कोतवाली के पर्यवेक्षण में व थानाध्यक्ष राजघाट के नेतृत्व में उ0नि0 उमाशंकर कन्नौजिया मय पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 89/2025 धारा 316(4), 317(2),3(5) बीएनएस से संबंधित वांछित अभियुक्त गंगा वर्मा उर्फ कल्लू को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से गबन का 19.30 ग्राम पीली धातु बरामद किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

थाना राजघाट क्षेत्र अन्तर्गत वादी की आभूषण की दुकान है। वादी द्वारा दिनांक 01.05.205 को 448 ग्राम सोना बाजार में हालमार्किंग हेतु भेजा गया था। जिसको उनकी दुकान में कार्य करने वाला कर्मचारी कृष वर्मा लेने गया था। हालमार्किंग कराने के बाद कृष वर्मा अपने साथियों के साथ मिलकर गबन करने की नियत से सोना लेकर फरार हो गया। जिसके संबंध मे वादी से प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना राजघाट पर मु0अ0सं0 89/2025 धारा 316(4) बीएनएस पंजीकृत कर दिनांक 17.05.2025 को अभियुक्त कृष वर्मा व प्रकाश में आये दिनेश गौड़ गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

गंगा वर्मा उर्फ कल्लू पुत्र स्वर्गीय रामनाथ वर्मा निवासी रायगंज उत्तरी थाना राजघाट जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 89/2025 धारा 316(4), 317(2), 3(5) बीएनएस थाना राजघाट जनपद गोरखपुर

बरामदगी–

गबन का 19.30 ग्राम पीली धातु

गिरफ्तारी टीम-

1. उ0नि0 उमाशंकर कन्नौजिया थाना राजघाट जनपद गोरखपुर
2. उ0नि0 विकास कुमार थाना राजघाट जनपद गोरखपुर
3. हे0का0अशोक सरोज थाना राजघाट जनपद गोरखपुर
4. का0 गुलफाम थाना राजघाट जनपद गोरखपुर
5. का0 अनन्त प्रकाश थाना राजघाट जनपद गोरखपुर